

To,
Divisional Forest Officer District Jhalawar,

Sub :- Diversion of 0.20 Ha. of forest land for construction of road NH 12 to Km 35/500 to
Nayagoun Bhanpura

Proposal No. :-FP/RJ/ROAD/7759/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the
EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS Dated is awaited :-		
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किस स्तर का गैर-वानिकी कार्य (निर्माण) किया गया है, उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें। साथ ही इस अवैध कार्य हेतु उत्तरदायी कर्मिका/अभिकरण के विरुद्ध भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अब तक विभाग द्वारा क्या-क्या दण्डात्मक या वैधानिक कार्यवाही की गई है ?	उक्त प्रस्ताव में दिनांक 3.3.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा दिनांक 3.3.2017 को 71.02 लाख रुपये का डिमाण्ड भेजा गया था जिसका भुगतान उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा 26.4.2017 को कर दिया गया है तथा फाइनल कम्पलाईन्स संलग्न कर भिजवा दी गई थी। जिसके क्रम में उपवन संरक्षक झालावाड़ द्वारा 12.9.2018 को अतिरिक्त राशि 3,87,639 रुपये चाही गई थी। जिसका भुगतान भी 1.11.2018 को कर दिया था। उक्त भुगतान के उपरान्त उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 27.07.2019 को कर दिया गया था। जिसकी कम्पलाईन्स कार्यालय के पत्रांक 101 दिनांक 24.05.2019 को भिजवा दी गई है। जिसके फलस्वरूप उपवन संरक्षक द्वारा 27.06.2019 को 4,99,056 रुपये की अतिरिक्त राशि की डिमाण्ड भेज दी गई थी। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्या में पत्रांक 7195 दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Jhalawar Project के दौरान निर्माण में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि का समायोजन करने का निर्णय लिया गया था।
2	उल्लंघन की स्थिति में भारत सरकार के नियमानुसार Penal NPV (शास्ति) एवं अन्य देय राशि की गणना कर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोष में जमा करवाई गई है अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो साक्ष्य (चालान प्रति) संलग्न करें।	दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि का समायोजन कर लिया गया था।

<p>3 अत्यधिक विलम्ब का स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.0.2024 को जारी आक्षेपों का प्रत्युत्तर लगभग 2 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रेषित किया गया है। इतने दीर्घकालिक विलम्ब क क्या कोण रहे ? स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे ताकि उच्च स्तर पर अवगत कराया जा सके।</p>	<p>उक्त प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं सहित पालना रिपोर्ट कार्यालय के पत्र क्रमांक 266 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्रांक 633 दिनांक 23.08.2024 तथा पत्रांक 1080 दिनांक 05.12.2025 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है तथा पुनः भिजवायी जा रही है।</p>
<p>4 एफ.आर.ए (FRA) सर्टिफिकेट की वर्तमान प्रासंगिता एवं विधिक शुद्धता की पुनः पुष्टि की जाए। साथ ही एफआर के साथ संलग्न इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावे।</p>	<p>एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट को पुनः अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सत्यापित कर भिजवाया जा रहा है।</p>



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

--:: राजस्थान सरकार ::--

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़।

Tele-07432-232230 fax No 07432-231131, E-Mail. ID dcfjhalawar1967@gmail.com

दिनांक :- 09.01.2026.

क्रमांक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025-26/1008

निमित्त :-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- construction of NH-12km 358/500 to Nayagoav Bhanpura under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan.
(Proposal no. FP/RJ/RAOD/7759/2014)

प्रसंग :- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) के पत्रांक 13 दिनांक 07.01.2026 के संबंध
में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत (Violation) उल्लंघन की स्थिति एवं अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालना में दिनांक 09.01.2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

अतः पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025-26/

प्रतिलिपि :-

1. उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक :-

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, अकलेरा

क्रमांक :- 1080

दिनांक :- 05/12/25

श्रीमान उप वनसंरक्षक
झालावाड़, जिला झालावाड़

विषय :- Construction of Road from NH 12 to Km 35/500 to Nayagoun Bhanpura (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar
(Proposal No./RJ/ROAD/7759/2014) (0.20 Ha.)

प्रसंग :- शासन सचिव(वन) राजस्थान सरकार कार्यालय पत्रांक दिनांक 18.01.2024 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि Construction of Road from NH 12 to Rojya under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.20 हेक्टर वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.03.2015 को प्राप्त हो चुकी है। जिसकी बिन्दुवार पालना के क्रम में निम्नलिखित दो बिन्दुओं की अनुपालना चाही गई थी

1. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत (Violation) उल्लंघन की स्थिति एवं अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालना के साथ प्रस्तुत करावें।

उक्त प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं सहित पालना रिपोर्ट कार्यालय के पत्र क्रमांक 266 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्रांक 633 दिनांक 23.08.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है तथा पुनः भिजवायी जा रही है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक के पत्रांक 1070 दिनांक 22.02.2024 व संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 5140 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से पालना रिपोर्ट भिजवा दी गई हैं जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में पत्रांक 7195 दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Jhalawar Project के दौरान निर्माण में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि का समायोजन करने का निर्णय लिया गया था।

कृपया उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर प्रस्ताव में अन्तिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/1077
निमित्त :-

दिनांक: 22-02-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.
Proposal no. FP/RJ/ROAD/7759/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan. Proposal no. FP/RJ/ROAD/7759/2014 प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 से सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर द्वारा पत्रांक 83 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. श्रेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 22-02-24

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/1077-73

- प्रतिलिपि :- 1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज० जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मय 03 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्री जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishornpura Kota- 324002 E-Mail:- ccffdn.kota@gmail.com Tel. no. 0744-2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवस/2025-26/ 5140
निमित्त:-

दिनांक: 04/06/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, जयपुर, राजस्थान।

विषय:- Construction of NH -12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 672 दिनांक 10.04.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि प्रकरण की सैधान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.1 (46)वन/2015 दिनांक 03.03.2015 प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। आप द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत VIOLATION की स्थिति एवं एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र की प्रति चाही गयी थी।

उप वन संरक्षक, झालावाड के पत्रांक 15056 दिनांक 12.09.2024 से एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 6647 दिनांक 19.11.2024 (प्रति संलग्न) से आपको पूर्व में भिजवाया दिया गया था। पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(सोनल जोरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Photo Copy Attested



अधिशोषी अभियन्ता
सां. 1-10 धि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4186-89

Date:- 22-08-24


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.20 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Approach road to Nayagaon bhanpura falls within jurisdiction of Gram Panchayat khedla Village in Nayagaon bhanpura in Asnawar tehsil.

It is further certified that :-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee/s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4186-89

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwar for N/A

Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A

Date:- 22-08-24


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

Photo Copy Attested

अधिसूची अभियन्ता
सा १० वि० १० १० अजमेरा
टी० डी० अ० १५२९४

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालावाड़ सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004**

क्रमांक एफ 14 ()2014 / झालावाड़ रोड / एफसीए / प्रमुखसं / 7195 दिनांक 18.08.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.08.2023 को 11:00 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटैक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/Road/7609/2014) एप्रोच रोड सांवल्दा की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त होने की दशा में उसमें जमा राशि को अन्य प्रस्तावों में समायोजित करने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री घंटन बृगार, उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफसीए।
4. श्री मनमोहन सिंघल, अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. श्री खेमराज, अधिशारी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़।

उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशारी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ द्वारा प्रेषित वन भूमि प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव एप्रोच रोड सांवल्दा (FP/RJ/Road/7609/2014) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जारी की गई। आवेदक अधिशारी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ के निवेदन पर प्रस्तावित राइक आवश्यक नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में यूजर एंजेंन्सी द्वारा जमा की गयी राशि 12310000+387639 = 12697639 जमा की गयी है जिसका समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशारी अभियंता अकलेरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी आई.डी. से कुल 7 प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जो निम्नानुसार हैं:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	category	area applied (ha)	submitted date	Status
1	FP/RJ/Road/7478/2014	A/R to Kishorpura Bardiya	Road	0.56	16.10.2014	Pending with UA
2	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	Road	0.95	16.10.2014	In principle
3	FP/RJ/Road/7609/2014	A/R to Sanvalda	Road	0.996	29.10.2014	cancelled
4	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Bardiya to Jatamani	Road	0.994	29.10.2014	In principle
5	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	Road	0.2	29.10.2014	In principle
6	FP/RJ/Road/13599/2015	Mohanpura to Ganeshpura lodhan	Road	0.984	30.06.2015	Approved
7	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	Road	0.936	15.04.2015	In principle

Photo Copy Attested

अधिशारी अभियंता
सा. नि. वि. अकलेरा
फोन नं. 015294

आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा जारी मांग पत्रों के अनुसार अपने अन्य विद्याराधीन प्रस्तावों में निम्नानुसार राशि समायोजित करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	2225688.00	2225688.00
2	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	3174304.00	3174304.00
3	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	1764576.00	1764576.00
4	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	1709586.00	929810.00
		Total	8874154.00	8094378.00

क०सं० 4 पर अंकित प्रकरण Road from Beenaganj to Balbantpura में राशि 779776 लाख पृथक् से जगा करायी जावेगी। इस प्रकार कुल 12697639.00 में से 8094378.00 का समायोजन किया जावेगा। अवशेष राशि 4603261 का समायोजन झालावाड़ जिले के अन्य प्रस्तावों में निम्नानुसार करने हेतु आग्रह किया एवं कोई अनापत्ति नहीं होने की वचनबद्धता भी प्रस्तुत की गयी।

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/30449/2019	Taraj to tara Devi	1810849.00	1810000.00
2	FP/RJ/Road/7558/2014	A/R Bankheri	2792412.00	2792000.00
		Total	4603261.00	4602000.00

उक्त प्रकरणों में क०सं० 1 पर राशि 849.00 एवं क०सं० 2 पर राशि 412.00 पृथक् से जगा करायी जावेगी। उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मांग पत्र वर्तमान श्रमिक दरों के आधार पर एवं एन.पी.वी. की दरों में हुये परिवर्तन के मद्देनजर जारी किये गये हैं।

सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड / एफसीए / प्रमुखसं / 7196-7201 दिनांक 18-05-2008
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधिशाही अभियंता, खण्ड अकलेरा / चौमहला / खानपुर झालावाड़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियंता
सां वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

क्रमांक : 266

दिनांक : 10/07/25

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Rajasthan में 0.2 हेक्टर वनभूमि व प्रत्यावर्तन के हेतु वनअधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही दिवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(डी.एस.सीणा)
अधिशाही अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested



अधिशाही अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
फ़ोन नं० 015294

क्रमांक : 633

दिनांक : 23/08/2024

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under
RRSMP (Phase II) in Rajssthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/10297 दिनांक 19.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित विषयाकित प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति तहत धारा-2 मे Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan मे 0.2 हैक्टर हेतु वनभूमि व प्रत्यावर्तन के लिए FRA Certificate पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार




(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested


अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

No. 646

Date :- 05.09.2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan में 0.20 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

Photo Copy Attested

अधिराजी अभियन्ता
सा 110 वि 0 खण्ड अकलेरा
सी 0 डी 0 ओ 1

प्रयोक्ता अधिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा शुल्क से 10 वृक्षों के पतन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पतन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।

हॉ जी पालन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

8 प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए सहासम्प जमा की जायेगी।

हॉ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 81,05,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

9 प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 8-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

हॉ जी एन.पी.वी. की रूपये 1,25,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

10 उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोबी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।

हॉ जी रूपये 79,88,695/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

11 प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि स्लम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।

हॉ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

12 प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करारक नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण कराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण कुमारी बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक प्रभावित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

13 प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोबी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिगत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि रु 1764576/- सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु 12997839/- से निम्नानुसार कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड पत्र क्रमांक एफ()एफसीए/उवस/2023/ 9288 दिनांक 07.08.2023 के रिमाण्ड नोट के अनुसार समयोजन कि अनुशाचा की है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त स	मद	रोपित पौधों की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	मांग राशि श्रमिक हर 258/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देव राशि
1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277
2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	700 वृक्ष	6880559	8366501	6880559	1485942
3	एन.पी.वी. राशि	0.2 हेक्टर @ 957780/-	125200	191558	125200	66356
योग			7988695	9793271	7988695	1764576

14 नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

उच्च कार्यालय से संबंधित है।

Photo Copy Attested

15 वन्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

उच्च कार्यालय से संबंधित है।

अधिसूची अधियन्ता
सा 0 नि 0 खख अकरोरा
डी 0 डी 0 ओ 0 15294

सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से
मनीष धीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की
पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को
यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक
समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ
स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को
स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

हो जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा
हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की
स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई
है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित
करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के खातान की छायाप्रति
2 दखन बढ़ता प्रमाण पत्र


अधिराशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक - 646


दिनांक - 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित वी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य दन संस्थाक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.नृत अकलेरा
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनाहरवा


अधिराशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested


अधिराशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
फोन नं० 015294

S.No. 257

Date :- 13/06/2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan

प्रस्ताव :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2016 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan में 0.20 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

Photo Copy Attested

अधिशाही अधिनियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेश
फोन नं. 015294

	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का वस गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले वृक्षों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- रुपये जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 61,05,000/- रुपये जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी. की रूपये 1,25,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 79,88,695/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना को सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अधिकरण द्वारा धन राशि रूपये 79,88,695/- जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 79,88,695 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 8,72,000/-रूपये दिनांक 28.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण - 61,05,000/- दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि - 1,25,000/- रूपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि - 3,87,639/-रूपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए.की राशि - 4,99,056/-रूपये दिनांक 27.08.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है। Photo Copy Attested

अधिसाक्षी अधियन्ता
सा 10 वि 0 खाण्ड अन्वलेरा
डी 0 ओ 0 15294

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एकलौ दिनांक 24.07.2012 से
राजकीय श्रम विनियमन द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की
अनुसूची प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी एकीकृत की
सूचक एकीकृत द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक-एक
समकालीन पत्र में अन्ततः प्रकाशित कराये एवं जारी एकीकृत की प्रतियाँ
राजकीय निकाय, संघात एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों की
एकीकृत प्रतियाँ के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जो जो समकालीन में जारी एकीकृत को अतिक्रमण द्वारा
हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली समकालीन पत्रों की
एकीकृत प्रतियाँ के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित कराया ही नहीं
है। जो कि दिनांक 28.12.2018 को समकालीन पत्र में प्रकाशित
करवा दी गयी है। समकालीन पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के बालान की छायाप्रति
2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(सुमनदी गीता)
अधिकाधी अधियन्ता
सा.नि.वि. उखण्ड अकादेमी
श्री.डी.ओ. 15294

क्रमांक :- 257

दिनांक :- 13/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षक अधियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अधियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिकाधी अधियन्ता
सा.नि.वि. उखण्ड अकादेमी
श्री.डी.ओ. 15294

Photo Copy Attested



अधिकाधी अधियन्ता
सा.नि.वि. उखण्ड अकादेमी
श्री.डी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।

(खेमचन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.पी.ओ. 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.पी.ओ. 15294

दिनांक :

क :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के
अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(खमचन्द मीना)
अधिसूचना अधिसूचना
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested

अधिसूचना अधिसूचना
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(खेमचन्द मीना)
अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

Photo Copy Attested



क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा भून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000/- रुपये जमा करवा दी गई है।
चालान की प्रति संलग्न है।

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(**खण्ड मीना**)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित) राशि 61,05,000/—रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(सुभाष चन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
Photo Copy Attested 15/05/2015
15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
15294

नांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,25,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे 79,88,695/-रूपये जमा करा दिये गये है।

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
एन० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(वेमचन्द्र शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(खेमचन्द मीश्र)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० पी० ओ० 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० पी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

अभिषेक सिंह
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :


दिनांक :


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

Photo Copy Attested


अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294


(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(विमलचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

दिनांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी है एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया है।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

महानगरपालिका अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
दिनांक :- 24/5/19

सम्पत्ति व्यवस्थापन संरक्षक
झालावाड जिला झालावाड राजा

विषय:- सम्पर्क सडक एन-52 किमी 358/600 से नयागांव मानपुरा अन्तर RRSMP (Phase-II)
in Distt. झालावाड ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 409058.00 रु केम्पा
फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एवं टैजरी के बिल की
प्रति सलमन कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय
(एन.बी.एम.डी.)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested

अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
फोन नं. 031 15294

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07492-232230 E-mail: dcf@bhanpura1987@gmail.com

क्रमांक एक () एफसीए / उवसं / 2019-20 /
निमित्त :-

दिनांक:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति
पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan. में 0.2 हेक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्धर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्धर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्धर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जाएंगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जाएंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्धर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्धर टेकिंग संलग्न है।

Photo Copy Attested

1293FCA letter

अधिष्ठापी अधिवक्ता
साथ नि० वि० सचिव अकलेरा
पी० पी० ओ० 15294

<p>प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास में बनस्पति/वन्य जीवन को होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।</p>	<p>हां, जी प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास में बनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की बर्ति रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डर टैकिंग संलग्न है।</p>
<p>7. प्रयोक्ता अभिकरण के ध्यय पर वन विभाग द्वारा शुन्ध से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों का 10 गुना किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>पातन किये जाने वाले वृक्षों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।</p>
<p>8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रियल पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।</p>
<p>9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जी राशि रु 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रु 125200 एनपीवी के सम्मिलित है।</p>
<p>10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हां, जी राशि रु 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें डीप की राशि रु 982936 सम्मिलित है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जी वचन बढ़ता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सड़क निर्माण में निकलने वाले मरु का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मरु निस्तारण की मात्रा शुन्ध होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक</p>	<p>अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रु 7988695 जरिये वातापन से जमा करा दी गयी है। जिसका बढवार विवरण निम्नानुसार है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 982936 /- रु 2. मार्ग के तीनों तरफ वृक्षारोपण 6880599 /- रु 3. एनपीवी - 125200 /-

Photo Copy Attached

अधिसूची अधिवन्ता
फिओ थिओ कण्ड अकलेता
फिओ थिओ ओओ 15294

1254FCA/008

की अनुपालना आख्या जिसमें जमा की गयी
 वन मदवार विवरण अर्थात् एनपीडी क्षतिपूर्ति
 तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार
 विवरण दिया गया है।)

<p>16 लोक अधिकारी (वन संरक्षक) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 8 तारिख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>
<p>17 राज्य सरकार द्वारा की गई उचित अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>
<p>18 भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24. 07.2013 से माननीय श्रीम ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चिता की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>जी हाँ, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति का युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।</p>

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु
 प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
 2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
 3. समाचार पत्र की प्रति।

सचदीय
 हस्ताक्षर
 (नरेश लाल प्रजापत)
 उप वन संरक्षक
 झालापाड़

क्रमांक एफ () एफसीए/उवस/2019-20/ 9135 दिनांक 10-6-19
 प्रतिलिपि :- अधिराजी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 110 दिनांक 28.05.2019 के
 काम में सूचनायें प्रेषित है।

Photo Copy Attested



अधिराजी अभियन्ता
 सा 10 नि 0 खण्ड अकलेरा
 डी 0 डी 0 ओ 0 15294

हस्ताक्षर
 उप वन संरक्षक
 झालापाड़

कार्यालय अधिराषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

90

क्रमांक : 107

वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक : 28.5.19

विषय:- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan.

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प. 1 (31)वन /2018 दिनांक 18.03.2018 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 किमी. 358/500 से नयगाव भानपुरा अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.2 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी उंव उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होने।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होने। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की रहेगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के ध्येय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का वन गुणा संख्या में वृक्षों का बूझारोपण एवं 10 वृक्षों तक रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए वधा सम्बन्धित जमा की जावेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों की रास प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी जावेगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।

29-5-19

Photo Copy Attested

अधिराषी अभियन्ता
सां नि 0 वि 0 खण्ड अकलेरा
डी 0 ओ 0 15294

<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पट्टे स्थानों पर अधीनस्थ वृक्षारोपण एवं 10 बर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान बरों को समाहित करते हुए जमा की जायेगी।</p>	<p>हॉ जी. आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। अन्वय टैकिंग सलंगन है।</p>
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हॉ जी. राशि रु. 128200/- रुपये जमा करवा दी गयी है।</p>
<p>उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीछारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्रॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हॉ जी. राशि रु. 7988895/- रुपये जमा करवा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रु. 802836 रुपये सम्मिलित है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सडाम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>हॉ जी. वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया गया है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सड़क निर्माण में निकलने वाले मुकू उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा। तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी। इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीछारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्रॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>अधिकरण द्वारा धन राशि 7988895/- रुपये जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलंगन है। कुल 7988895 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 882836/- 2. मार्ग के तीनों तक वृक्षारोपण - 880000/- 3. एन.पी.वी. -125200/-</p>
<p>14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 8 तारीख को संबन्धित क्षेत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है। Photo Copy Attested</p>

अधिसूची अधियन्ता
सा० नि० वि० सचिव अखिलेश
सी० डी० ओ० 15294

सर्व सरकार द्वारा की गई वक्त अनुमति का प्रबन्धन संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय वन एवं वन संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा

उक्त कार्यालय से सम्बन्धित है।

16.

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2012 से माननीय प्रीम ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को सुजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बीडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

ही जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को सुजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करावा ही जायेगी। जो कि दिनांक 25.12.2018 को करवा ही गयी है। समाचार पत्र की छापा प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. जमा की गई धन राशि के घालान की छायाप्रति
 2. वचन बढ़ता प्रमाण पत्र
 3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल.एस.रागडी)
अधिसाची अभियन्ता
सानि.वि. वृत्त अकलेश

क्रमांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सानि.वि. वृत्त झालावाड
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सानि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिसाची अभियन्ता
सानि.वि. वृत्त अकलेश

Photo Copy Attested

अधिसाची अभियन्ता
सानि.वि. वृत्त अकलेश
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-07432-232230 Email Id-dc@bhanpur1987@gmail.com
दिनांक / 2019-20 / 11843 दिनांक 6-8-19

✓ श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय :- Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Nayagoon
Bhanpura under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal
NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) को मुगलान जमा कराने के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र
क्रमांक एफ 14 () 2014 / झालावाड़ रोड / एफ.सी. ए / प्रमुखसं / 2761-62
दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अधिशासी
अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेश में अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न)
द्वारा अवगत करवाया है उक्त सीनो सड़को की राशि टी.वी घाउघर संख्या 17885 दिनांक 27.08.2019 को
कम्पा फंड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा सोडान का है उसमें जमा
हो गई है जिसके बिल. टी.वी घाउघर व धालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रयोजन संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499058.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा सोडान	1508561177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सड़क की
राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा सोडान में जमा हो गई है उसको
इस सड़क के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का कर्म करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(Signature)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ () विकास / 2019-20 /
प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेश को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक
Photo Copy Attested

उप वन संरक्षक
झालावाड़

अधिशासी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड अकलेश

सी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/20

✓ श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: - बिलो के भुगतान जमा-होने के काम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalamanj, under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rollya sanctioned under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagoan Bhagpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 (0) 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रगुवरा

1. 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2506 - 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि उपर्युक्त तीन सड़कों का भुगतान टी वी यादवर्स संख्या 17804 (डोरसा सड़क), टी वी यादवर्स संख्या 17805 (नयागांव भानपुरा सड़क) टी वी यादवर्स संख्या 17806 (पाटनरी सड़क) व दिनांक 27.06.2019 को क्रमांक एफ 14 रोड संख्या 150850/135002381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडन का है अतएव प्रस्ताव पत्रों को प्रथम ही प्रेषित करने के लिए, टी वी यादवर्स व झालावाड की प्रति पत्र को सापेक्षता के


FCA

2/8/2019

उत्तम कर्मचारी गरीब राशि का विवरण का प्रकार है

क्र. सं.	प्रपत्र संख्या व राशिक का नाम	राशि	जमा कर्मचारी गरीब राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/RJ/ROAD/7757/2014 बहोदिया से जटामारी	1096947.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856177570312
2	FP/RJ/ROAD/7595/2014 एनएच 12 से राज्या	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856175950315
3	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी से 352/500 से नयागांव मानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856177590982

अतः श्रीमानु से निवेदन है कि उक्त तीनों राशिकों की खाता संख्या 150856113599 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान में जमा हो गयी है उक्त राशिकों के खाता में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करें।


 अधिसूची अधियन्ता
 रा. नि. वि. खण्ड अकलेश्वर

संस्थान: - ग्राम: बिल, टीरी
 बाणेश्वर व. घालान की प्रतिभा

प्रतिलिपि श्रीमानु प्रधान मुख्य प्रशिक्षक (HQA) भाजस्थान जयपुर
 प्रतिलिपि श्रीमानु मुख्य वन संरक्षण भोटा
 प्रतिलिपि श्रीमानु अधिक्षक अभिभार रा. नि. वि. खण्ड अकलेश्वर

अधिसूची अधियन्ता
 रा. नि. वि. खण्ड अकलेश्वर

अधिसूची अधियन्ता
 रा. नि. वि. खण्ड अकलेश्वर
 जी. डी. ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
 दिनांक - 7/8/2019

श्रीमान् उपवन संरक्षक
 झालावाड़ जिला झालावाड़ राज्

विषय - Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) In Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

संदर्भ:- श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 () 2014 / झालावाड़ रोडर / एफसीए / प्रयुवरा / 24.07.2018

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार झालावाड़ रिपोर्ट में पायी गयी कमियों की पूर्तिकर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

क्र.सं.	बिन्दुवार पायी गयी कमिया	बिन्दुवार कमिया की पूर्ति
1	प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत भिजवाई गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन विभाग संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.03.2015 को जारी की गई थी। परन्तु विभाग द्वारा पालना, रिपोर्ट एवं ससि विभाग को देरी से प्राप्त हुई थी जिसको की देरी से प्रमा करवायी गयी इससे विलम्ब हुआ। No violation Certificate संलग्न।
2	उप वन संरक्षक द्वारा राशि रु. 7988735/- जमा होना अवगत कराया गया है। जबकि ऑनलाईन परीक्षण किये जाने पर राशि रु. 7489639/- जमा की गई। अतः बकाया राशि रु. 499096/- का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।	बकाया राशि 499096/- रु टीवी वाउचर संख्या 17865 से दिनांक 27.08.2019 को क्रेडिट एण्ड के खाता सं 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोकल के खाते में मुलका जमा हो गई है। जिसको स्थानान्तरित करने हेतु श्रीमान् मुख्य वनसंरक्षक जयपुर को निवेदन किया हुआ है।
3	उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नहीं होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यों की गई है।	मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियंता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
 फोन नं० 15294

(ए.सी.शागडी)
 अधिशाषी अभियंता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFR) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुखस/

दिनांक:

मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय.- Construction of Nil-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under
RRSMP (Phase-II) In Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/R/OAD/TTS9
/2014

संदर्भ:-आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर इसमें निम्नानुसार कमीयां पायी गयी है:-

1. प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत गिजवायी गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

2. उप वन संरक्षक द्वारा निम्नानुसार राशि जमा होना अवगत कराया है:-

1. 100 वृष्टों का वृक्षारोपण	-	982936.00
2. दोनों ओर का वृक्षारोपण	-	6880599.00
3. एन पी.वी.	-	125200.00
		7988735/-

जबकि ऑनलाईन राशि जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि जमा की गई है:-

दिनांक 26.04.2017	-	7102000/-
दिनांक 01.11.2018	-	387639/-
		7489639/-

अतः बकाया 499096.00 राशि का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नहीं होगा फिर भी वृक्ष डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यों की गई है।

अतः उक्तानुसार बिन्दुओं की पालना उप वन संरक्षक, झालावाड़ एवं संबंधित यूजर एजेंसी से करवाकर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाये, ताकि अधिस कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय



(राजेश कुमार जैन)

मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन) अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुखस/27 61-2 दिनांक 24/2/19
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. उप वन संरक्षक, झालावाड़।


2. अधिराशी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।

Photo Copy Requested

अधिराशी अभियंता

सां० नि० वि० खण्ड अकलेरा

डी० डी० ओ० 15294


(राजेश कुमार जैन)
मुख्य वन संरक्षक (एफ सी ए)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-97432-232239 Email id-rc/jhalawar1947@gmail.com

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/11843
दिनांक -

दिनांक 6-8-19

✓ श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय - Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Naryagan
Bhanpura under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal
NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) के भुगतान जमा कराने के संबंध में

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र
क्रमांक एफ 14 () 2014/झालावाड़ रोड/एफ.सी. ए/प्रमुख/2791-82
दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव आपके प्रासंगिक पत्र के सदर्थ में निवेदन है कि अधिष्ठा
अभियंता सा नि वि खण्ड, अकलेरा ने अपन पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न)
द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनों सड़क की राशि टी वी वाउचर संख्या 17865 दिनांक 27.08.2019 को
क्रेडिट फंड के खाता संख्या 1508561135992381 को मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान को है इसमें उक्त
हो गई है जिसके वाम बिल, टी वी वाउचर व प्रमाणों की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र सं	प्रयोजित संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	जमा करने वाले का नाम
1	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	1508561135992381

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सड़क की
राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उक्त
इस सड़क के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का काम करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

नवीन
Key
(निदेशाधीन प्रकरण)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/

प्रतिलिपि अधिष्ठावी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को भेजा गया है।

दिनांक

Photo Copy

उप वन संरक्षक
झालावाड़

अधिष्ठावी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड अकलेरा
पी. ओ. 15294

पर्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (II) (P) राजस्थान, जयपुर
 दिनांक

Construction of NH-12 Km 35B/300 to Nayagan Bhanpur under
 RRSSIP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/RJAD/7750
 2014
 सं. सं. आयका पत्रांक 3019 दिनांक 20.08.2019

कामांक ए
 निमित्त-

महं

S

प्रमाणित सदस्यता पत्र से प्राप्त विन्दुवार पालना रिपोर्ट का
 निम्नलिखित विवरण प्रमाणित किया गया है -
 1. प्रमाणित सदस्यता पत्र 2018 का सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।
 2. प्रमाणित सदस्यता पत्र 2018 का सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।
 3. प्रमाणित सदस्यता पत्र 2018 का सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।
 4. प्रमाणित सदस्यता पत्र 2018 का सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।

- 1. 982336.00
- 2. 6720539.00
- 3. 125200.00
- 4. 7983735/-

प्रमाणित सदस्यता पत्र का परीक्षण किये जाने पर निम्नलिखित नतिजा

1. प्रमाणित सदस्यता पत्र का मिलावट नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।
 2. प्रमाणित सदस्यता पत्र का मिलावट नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।
 3. प्रमाणित सदस्यता पत्र का मिलावट नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।
 4. प्रमाणित सदस्यता पत्र का मिलावट नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।

भवदीय
 (राजेश कुमार खेत)
 मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर
 दिनांक 20/08/19

उप. सं. एच. 14(1)2014 / झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रभुवस / 27 61-62
 प्रतिलिपि-निम्नांकित को सदस्यता पत्र के क्रम में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1. उप वन संरक्षक, झालावाड।
- 2. अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।

Photo Copy Attested

अधिशासी अभियंता
 सा0 नि0 वि0 खण्ड अकलेरा
 20/08/2019 15294

(गणेश कुमार वर्मा)
 वन संरक्षक (एच सी सी)
 अरण्य भवन, जयपुर

बिही 2 न नपा 2011 नानुपुय

0000000

Government Of Rajasthan
STATE INDIAN BANK

Form No of (A) org part (Dr-Annex) 15294

Month/Year May/2010
Class 15294

Form No 00000010 00000000 00000000	Reference No 1703078 Division Code 100 Demand No 21 Order Head 21 NonPlan 000	Vain Reference No 01/1 of 10 SB No 10972 DDCCode 15294 Budget Head 2004-01-000-00-01/01/11 NA 000	
---	---	---	--

The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
Please Order to pay ₹ 499056 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of [Signature]

I certify that I have personally examined and established myself about the genuineness of claim that the claimed bill is correct in accordance with the rules and regulations and the particulars details mentioned in same bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this document is valid and correct.

I certify that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill

Sign of DDO with Seal

Sl. No.	Name Address State	Bank Name Account No IF SC Code Branch Name	Invoice No Invoice Date (in Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	Budget Head Outstanding Amt
1	CORPORATION BANK LOONI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE 1 LOONI ROAD NEW DELHI 110003 9490522074	CORPORATION BANK 15085811359281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1900 12:00:30 AM	499056 00 499056 00	1752875

Gross Amount Rs. 499056 00

B.T.Amount Rs.

Net Amount Rs. 499056 00

Amount in Words: FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX Only

For Accountant General Office

Authorized ₹
Originated ₹

Auditor
Supd
Gaz Officer

Sign of DDO

No. 1703078
Pay ₹ 499056.00
(In Words) FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY
B.T. Heads
Head
Total
(In Cash) ₹ 499056 00
(In Words) FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY

AAO-III
Treasury/Sub Treasury Officer

Photo Copy Attested

✍

अधिसावी अधिसन्ता
रु 10 वि 0 खड्ड 3 लेरा
रु 00 रू 00 15294

MM-12 के 110 गीत मंत्रालय

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Form PWA 28

Reference No.:

Date:

File No: 10872. Dated: 24/05/2019

Work Name: EX.Leng purd Div-Aklara. Division Code: 15294

Division Code:

HAND RECEIPT NR Payments for Govt Dept/Govt Agency
(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special form 24 and 26 are suitable)

Work: MM-12 km 352/508 to Nayagoon

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/Bill No. Dated:

Budget Head: 3254-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: Account No. - 150858113599281, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 4,99,056 (In Words): Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Deductions/Recoveries:

S.No.	Head Code	Head Detail	Amount
-------	-----------	-------------	--------

Net Amount Payable in Figures: 4,99,056 (In Words): Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Received from _____ sum of Rs. _____ (Rupees _____) on account of (Work Name) _____ / purpose _____

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Signature of DA with seal

Photo Copy Attested

अधिकाारी अधिकाारता
सां निं विं खण्ड अकांरा
खं खं ओं 15294

For use in Divisional Office

अधिकाारी अधिकाारता
सां निं विं खण्ड अकांरा
खं खं ओं 15294

NEFT/RTGS CHALLAN
 NH127 १५११११ ११११११११

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for AG-HOG CAMPA

Date : 24-08-2018

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590932
MEF/SG File No.	1(48)FOREST/2018
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. Aklera/Jhalawar
Amount(In Rs)	499056/-

Amount in Words: Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590932 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for AG-HOG CAMPA

Date : 24-08-2018

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590932
MEF/SG File No.	1(48)FOREST/2018
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera/Jhalawar
Amount(In Rs)	499056/-

Amount in Words: Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590932 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

Photo Copy Attested



अधिकाारी अधिकाारी
 साठ निठ विठ खण्ड अ ठारा
 डीठ डीठ ओठ 15294

अधिकाारी अधिकाारी
 साठ निठ विठ खण्ड अ ठारा
 डीठ डीठ ओठ 15294

अधिसूचना सं. 03.03.2015
सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

सूचना सं. 03.03.2015

Photo Copy Attested

अधिसूचना अधिसूचना
सा 10 मि 10 खण्ड अकां 10
डि 10 डि 10 15294

क्रमांक
निमित्त

magic

magic

सूचना सं. 03.03.2015

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023


To,
The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - बच संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित करने कायद

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897743	150856113599281 Attested COPY 	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897732		61775950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897730		6177590992

अभिनिमित्त: अभियंता
राज्य वन विभाग, जयपुर
दिनांक: 01/06/2023

above

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

Photo Copy Attested

अधिकाारी अधियन्ता
सा० नि० वि० सचि० अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

दिनांक 01/02/2024... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, अहमदाबाद... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	आयर्जन के लिए संचित भूमि
1	तलवाडिया	105	खडला	2000sqm= 0.20 Hect.

क्षेत्रीय वनाधिकारी
असनावर (झालावाड)


विकास अधिकारी
पंचायत समिति झालारापाटन

उपखण्ड अधिकारी
असनावर (झालावाड)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड (राज.)

दिनांक 11/6/2024 को उपस्थित स्तरीय वनाधिकारी समिति खेडला की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	ढायवर्जन के लिए संचित भूमि
1	तलवाडिया	105	खेडला	2000sqm= 0.20 Hect.


 जिलाधिकारी
 ग्राम सेवक प्रशासन सचिव
 ग्राम पंचायत खेडला
 पंचायत समिति झालरापाटन



 ग्राम पंचायत खेडला
 ग्राम पंचायत खेडला
 पं.स. झालरापाटन, जिला- झालापाटन

Photo Copy Attested



अभिआधिसापीअभियन्ता
 सा० सि० नि० वि० खण्डेअकमेरा
 पी० डी० अ० ०४५२९४

कार्यालय ग्राम पंचायत खेड़ला

पंचायत समिति झालरापाटन, जिला-झालावाड़ (राज.)

प्रभक
कंचनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत, खेड़ला
द.स. झालरापाटन, जिला-झालावाड़ (राज.)
मोबा. 9950351972

प्रेषिति श्रीमान अधिशाही अधिकारी
आर्थिक निगम विभाग राणा
अकलेश्वर जिला झालावाड़

क्रमांक- ग्रा/पं/खेड़ला.2024-25/07

दिनांक : 11/06/2024

विषय :- सम्पर्क सड़क के आरंभ करवाने बाबत (नया गांव भानपुरा से NH 52 पर)
होय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत खेड़ला कि सम्पर्क सड़क NH.52 से नया गांव भानपुरा की दूरी है 0.20 है कि वन विभाग द्वारा अन्तर्गत है यह ग्रामवासियों के आवागमन का पिछले 50 वर्षों से एक बड़ा बाधा है ग्रामवासियों कि भोग पर उच्च धूमि में से सांकेतिक निगम विभाग एवं अकलेश्वर द्वारा आरंभ सड़क निकालने के लिए वन विभाग से भूमि अस्सावर से ग्राम नया गांव भानपुरा के लिए 1/2 रास्ते के लिए वन विभाग कि धूमि आरंभ करने का प्रस्ताव ग्रामवासियों व और द्वारा वन विभाग के निगमानुसार कार्य कराने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर वन विभाग को प्रस्ताव कि प्रोटेक्सी क्रियाने का निवेदन किया प्रस्ताव है।

Photo Copy Attested



अधिशाही अधियन्ता
सां नि:0 वि:0 खण्ड अकलेश्वर
डी:0 डी:0 ओ:0 15294



आधिकारी
अकलेश्वर
झालावाड़

11/6/2024

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय/पंचायत/2024-25
[216] दिनांक 10/6/2024 के अन्तर्गत आदेशानुसार गांव सभा
का आयोजन किया जिसमें महत्त्व सहस्रगांवों को सरपंच
साहब द्वारा विजा द्वारा गांववासियों को निम्न अनुसार
दिया गया।

प्रस्ताव - सरपंच साहब द्वारा माननीय मुराधमंगी महोदय द्वारा
गांव विकास के उपलक्ष्य में मुराधमंगी वसतीपण
गांववासियों का शुभारंभ किया जाने है, एलाक
में से लेकर गांव स्तर तक निर्धारित लक्ष्यानुसार
गांवों कि संख्या प्रणाली परिधारीपण है, स्थान शीतगाड
का चिन्हीकरण मांग उपलब्धता नसरी है।
गांव पंचायत से संमस्त गांवों में मांग अनुसार कथलपुराड
स्वीकृतीपा है, तकमीना बनवाने है, सर्वसम्मति
से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव सरपंच साहब द्वारा गांववासियों को अर्थात् कराधा
कि प्रत्येक परिवार को उस वर्ष मान्यता देने पर
5-5 पीछे लगाये जाने उनकी सुरक्षा करने एवं आवरण
गांवों कि करारी शक्ति का सुसाय दिया जिसका सर्वसम्मति
मेकपुसोवन किया गया।

प्रस्ताव आध गांव सभामें माननीय विकास अधिकारी का मन्त्रसे प्राप्त
पत्रांक 0 का प्रतिक संशयक अधिकृत सा. नि. वि. उपरपत्र प्रसन्न
पत्रांक 57-78, दिनांक 27-5-2024 द्वारा गांव पंचायत वीजा गांववासियों को
संयुक्त रूप से गांव गांव मानपुरा की छवि में डाकरीकरण हेतु प्रस्ताव
का प्रस्ताव गांववासियों द्वारा उठवपी में प्रक. से. आ. रास्ता होना वलागागा
अर्थात् का विमर्श कि 0.20 हेक्टर छोटे अक्षा वलागागा गांववासियों के गांव
अंमोले वलागागा में किया रही है उक्त रास्ता वलागागा गांव पंचायत
प्रस्ताव से जोडने का एक गा. रास्ता है जिसके आधार पर गा. सभा में उक्त प्रस्ताव
अनुमोदन करते हुए आवधिकित किम्वि विमर्श को वन विकास में निम्नानुसार
मुझे लेकर का प्रस्ताव है, संशयक प्रस्ताव करने के निम्नानुसार अनुमोदन
किया है एलाक में किया जाता है।

श्रीमान विकास अधिकारी
गांव पंचायत
सा. नि. वि. उपरपत्र

श्रीमान विकास अधिकारी
गांव पंचायत
सा. नि. वि. उपरपत्र

Copy Attested

श्रीमान विकास अधिकारी
गांव पंचायत
सा. नि. वि. उपरपत्र

**जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 22.08.2024 को प्रातः
10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड की बैठक जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गई जिसमें संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारीयों ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सम्पर्क सड़क नयागांव भानपुरा ग्राम पंचायत खेडला खसरा नं. 105 में 2000 वर्गमीटर = 0.20 हेक्टेयर, सम्पर्क सड़क बडौदिया से जटामरी ग्राम पंचायत बडौदिया खसरा नं. 497, 529, 530, 528, 155, 99, 98 में 9940 वर्गमीटर = 0.994 हेक्टेयर एवं सम्पर्क सड़क रोज्या ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान खसरा नं. 651/240, 650/236, 235, 649/234 में 9500 वर्गमीटर = 0.95 हेक्टेयर, सम्पर्क सड़क बानीखेडी ग्राम पंचायत डोडी खसरा नं. 383, 364, 363, 383 में 5200 वर्गमीटर = 0.52 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में आती है। जिसमें उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है ना ही वन क्षेत्र में कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशंखा की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	खसरा नं०	डायवर्जन के लिए प्राप्ति भूमि	किस्म
1	सम्पर्क सड़क नयागांव भानपुरा	खेडला	असनावार	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हेक्टेयर	गे.मु.सड़क खातेदार PWD
2	सम्पर्क सड़क बडौदिया से जटामरी	बडौदिया	असनावार	497, 529, 530, 528, 155, 99, 98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हेक्टेयर	गे.मु.सड़क खातेदार PWD
3	सम्पर्क सड़क रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हेक्टेयर	गे.मु.सड़क खातेदार PWD
4	सम्पर्क सड़क बानीखेडी	डोडी	गंगधार	383, 364, 363, 383	5200 वर्गमीटर = 0.52 हेक्टेयर	गे.मु.सड़क खातेदार PWD
				Total	26640 वर्गमीटर = 2.664 हेक्टेयर	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड

उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम/
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड
2. उपवन संरक्षक, झालावाड
3. उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. झालावाड
5. अधिशाही अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा/घौमहला
6. रक्षित पत्रावली

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियंता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

दिनांक :

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4186-89

Date:- 22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having in-mated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.20 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for construction of approach road to Nayagaon bhanpura falls within jurisdiction of Gram Panchayat khedla Village in Nayagaon bhanpura in Asnawar tehsil.

It is further certified that :-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above


District Collector & District Magistrate
Jhalawar


No:- 4186-89

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwar for N/A

Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A

Date:- 22-08-24

Photo Copy Attested


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

अधिकाारी अभियन्ता
सह नि० वि० खाण्ड अकलैरा
खी० खी० ओ० 18294

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1020
निमित्त :-

दिनांक: 21-02-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.
Proposal no. FP/RJ/ROAD/7759/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan. Proposal no. FP/RJ/ROAD/7759/2014 प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 से सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर द्वारा पत्रांक 63 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. सेवक कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 21-02-24

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1020-70

- प्रतिलिपि :-
1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।
 3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मध्ये 03 दिनांक से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
को० पी० ओ० 15294